डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

-ः वादीगण :-

1. धन्नाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 दुदाराम पुत्र धन्नाराम जी
   1/2 जयराम पुत्र धन्नाराम जी
   1/3 परमा पुत्री धन्नाराम जी
   1/4 नौरती पुत्री धन्नाराम जी
   1/5 मन्जूदेवी पुत्री धन्नाराम जी
   1/6 गटूडी पत्नी धन्नाराम जी
2. कुना पुत्र गणेश जी
   जातियान माली निवासीगण अमरपुरा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज.

बनाम

-ः प्रतिवादीगण :-

1. सबला फौत के कायम मुकाम
   1/1 गुदडराम पुत्र सबलाराम
   1/2 पप्पूदेवी पुत्री सबलाराम
   1/3 सुगनाई पत्नी सबलाराम
2. मोहनलाल पुत्र लादू
3. कालूराम पुत्र अल्पूराम
4. बाबूलाल पुत्र अल्पूराम
5. मीठालाल पुत्र अल्पूराम
6. कंवराई पत्नी अल्पूराम
7. हापुराम पुत्र नैनाराम
8. मांगूराम पुत्र जसाराम
9. चिमनाराम पुत्र जसाराम
   जातियान माली निवासीगण अमरपुरा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज.
10. तहसीलदार साहब जैतारण जिला ब्यावर राज.

मु0न0 :रा0वा0स0- 43/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-..... व हाजरी श्री अरूण सिंह राठौड, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र प्रजापत व श्री गोविन्द प्रजापत, अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का राबडीयावास में खसरा नम्बर 147 रकबा 8-14 बीघा, खसरा संख्या 150 रकबा 4-16 बीघा, खसरा संख्या 151 रकबा 3-17 बीघा, खसरा संख्या 152 रकबा 0-12 बीघा, खसरा संख्या 158 रकबा 42-02 बीघा, खसरा संख्या 159 रकबा 7-10 बीघा कुल खसरा 6 कुल रकबा 67-11 बीघा की आई हुई है, के राजस्व भू-अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम की दर्ज दोहरी प्रविष्टियों **'सबलाराम पुत्र लादू हिस्सा 1/48, मोहनराम पुत्र लादु 1/48, व अल्फूराम पुत्र लादू के वारिसान बाबूलाल पुत्र अल्फूराम हिस्सा 1/192 मीठालाल पुत्र अल्फूराम हिस्सा 1/192 कालूराम पुत्र अल्फूराम हिस्सा 1/192 व कंवराई पत्नि अल्फूराम हिस्सा 1/192'** में से एक प्रविष्टि का विलोपन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण **'कुना पुत्र गणेश हिस्सा 1/32, दूदाराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा 1/192, जयराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा 1/192, परमाई पुत्री धन्नाराम हिस्सा 1/192, नौरती पुत्री धन्नाराम हिस्सा 1/192, मंजुदेवी पुत्री धन्नाराम हिस्सा 1/192, गदुडी पत्नि धन्नाराम हिस्सा 1/192'** को खातेदार/ काश्तकार दर्ज करते हुये वादीगण को उनके हक हिस्से तक आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस मुताबिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

के हक–हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें तथा न ही वादीगण को अपने खातेदारी उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17.07.2025 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक),जैतारण
जिला ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	1.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	5.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	10.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।